राजस्थान सरकार
राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई
जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना

(तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर फोन न. 2226175, 5104080 फैक्स न. 5104014)

क्रमांकः प.3(31)ग्रा.वि. / डीपीआईपी / 2005 दिनांकः 07.03.2007

जिला परियोजना प्रबन्धक,
जिला परियोजना प्रबंधन इकाई,
बारां / चूरू / दौसा / धौलपुर / झालावाड / राजसमंद / टोंक

विषय :— लाभार्थी अंशदान हेतु ऋण उपलब्ध करवाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि उप परियोजना की स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात समान रूचि समूहों द्वारा उप परियोजना में निर्धारित लाभार्थी अंद्गादान की व्यवस्था करने में असमर्थ रहने के कारण परियोजना से जारी की जाने वाली डीपीआईपी अंशदान की राशि समूहों को हस्तानांतरित नही की जा सकी है। अतः शासकीय परिषद ने नवीं बैठक दिनांक 22.2.2007 में यह निर्णय लिया है कि लाभार्थी द्वारा जितना अंद्गादान क्षमता अनुसार जमा करवाया जा सकता हो, जमा करवाने के पश्चात, शेष लाभार्थी अंद्गादान राशि जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई पर उपलब्ध परियोजना राद्गि से, समूह को ब्याज रहित ऋण के रूप में दी जावे। समूह द्वारा समूह की बैठक में निर्धारित ब्याज पर यह ऋण समान रूचि समूह के सदस्यों को दिया जावेगा।

अतः उप परियोजना स्वीकृति पद्गचात किये जाने वाले अनुबंध में लाभार्थी अंद्गादान हेतु ऋण राद्गि की स्वीकृति वसूली के प्रावधान शामिल कर संद्गोधित अनुबन्ध की प्रति (मय परिशिष्ठ 1,2,3,4), जिला परियोजना प्रबंधन इकाई स्तर पर संधारित किये जाने वाले ऋण खाते का प्रपत्र ''अ'' एवं समूह स्तर पर सदस्यवार ऋण खाता संधारण करने का प्रपत्र ''ब'' संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि शासकीय परिषद के ऊपर वर्णित निर्णय के क्रम में प्रमुख शासन सचिव,ग्रा.वि.एवं प.रा. द्वारा जिला कलेक्टर को जारी पत्र क्रमांक PS/RD&PR/2007 दिनांक 23.2.2007 (प्रति संलग्न) की पालना सुनिद्गिचत की जावे तथा साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई को अवगत करावें। स्वीकृत किये गये ऋण की सम्पूर्ण वसूली दिनांक 31.10. 2007 तक किये जाने के अनुसार ऋण भुगतान की किस्त का निर्धारण किया जावेगा। दिनांक 30 जून, 2007 के उपरान्त किसी भी प्रकार की वित्तीय स्वीकृति जारी नही की जावें।

संलग्नः—

1. अनुबंध
2. ऋण प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब''
3. प्रमुख शासन सचिव के आदेश की प्रति

(अभय कुमार)
राज्य परियोजना निदेद्गाक

प्रतिलिपी :

1. विद्गिाष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा.वि.एवं प.रा. जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं प.रा.विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग, जयपुर
4. जिला परियोजना समन्वयक, ...को प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि.एवं प.रा. विभाग द्वारा जारी आदेद्गाो के क्रम में लाभार्थी अंद्गादान ऋण बाबत संद्गाोधित अनुबन्ध पत्र मय आवेदन पत्र एवं समूह स्तर पर सदस्यवार संधारित किये वाले ऋण प्रपत्र संलग्न कर लेख हैं कि जिन उप परियोजना में लाभार्थी अंद्गादान के अभाव में राद्गिा हस्तान्तरित नही हुई हैं उनमे आवद्गयकतानुसार लाभार्थी अंद्गादान ऋण राद्गिा जारी करवाने की कार्यवाही कर उप परियोजना राद्गिा हस्तान्तरित करवाकर उप परियोजना का क्रियान्वयन सुनिद्गिचत किया जावे।
5. समस्त अधिकारीगण, राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, जयपुर

राज्य परियोजना निदेशक

अनुबंध

यह अनुबन्ध एक पक्षकार के रूप में (समूह का नाम)................................. ग्राम............ ....पंचायत समिति....................................जिला................. की ओर से श्री/श्रीमती/सुश्री........ ....पुत्र/पत्नी/पुत्री.......................निवासी ....(जिसे इसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया हैं और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि भी हैं, जब तक की विषय या सन्दर्भ से ऐसा अपवर्जित या उसके विरूद्व नही हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल की ओर से श्री/श्रीमति ....जिला परियोजना प्रबन्धक, डीपीआईपी, जिला .... (जिन्हे इसमें आगे राज्य सरकार कहा गया हैं और इसके अन्तर्गत उनके पद उत्तरवृर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि विषय या सन्दर्भ से ऐसा अपवर्जित या उसके विरूद्व नही हैं) के मध्य आज दिनांक ....को किया गया।

प्रथम पक्ष अर्थात गरीबो के ....(सदस्यों की संख्या) सदस्यों का समूह सामाजिक/आर्थिक विकास के द्वारा अपने समूह के सदस्यों का जीवन स्तर ऊँचा करने का इच्छुक हैं।

राज्य सरकार गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयासरत हैं तथा प्रथम पक्ष के गरीबी उन्मूलन के प्रयासो में सहयोग करने के लिये इच्छुक हैं।

इस अनुबन्ध का उद्देश्य प्रथम पक्ष के समस्त सदस्यों के आर्थिक उत्थान एवं सामाजिक खुशहाली के लिये सहायता करना हैं।

अतः पक्षकारो द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित अनुबन्ध किया जाता हैं :—

1. प्रथम पक्ष उप—परियोजना को, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं, क्रियान्वित करेगा :—
   (1) उप परियोजना का नाम व प्रकार : ....
   (2) उप परियोजना का स्थान : ....गॉव......................... पंचायत समिति.............................जिला..

(3) यदि उप–परियोजना छोटे समान रूचि समूह के परिभाषित व्यक्तियों को लाभान्वित करेगी, तो लाभान्वितों की संख्या............... (लाभान्वित सदस्यों के नाम परिशिष्ट–1 में अंकित है।)

(4) यदि उप–योजना गांव या गांवों के परिवारो को लाभान्वित करेगी, तो : –

(अ) लाभान्वित होने वाले गांवों की संख्या..............................

(ब) परिवारों की संख्या जो लाभान्वित होंगे ....

(गाँव / बस्तियों की सूची व लाभान्वित परिवारों के नाम परिशिष्ट–2 में संलग्न है।)

(5) कार्य जो किए जाने हैः –

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(6) उप–परियोजना के प्रत्याशित परिणाम

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(7) लागत

क्र.सं.	कार्य	इकाई का विवरण	इकाइयों की संख्या	इकाई लागत	कुल लागत
1-					
2-					
3-					
4-					
5-					
6-					
योगः –					

(8) कार्य पूर्ण करने के उपलब्धिचिन्ह

उपलब्धिचिन्ह का विवरण	उपलब्धिचिन्ह पूर्ण करने का नियत समय (माह / वर्ष)	लागत (रू0) अंशदान द्वारा				
		कुल लागत	द्वितीय पक्ष	प्रथम पक्ष		
				नकद	मजदूरी	सामग्री
1.						
2.						
3.						
योगः –						

2. उप परियोजना हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली धन राशि की शर्ते निम्नानुसार होगी :–

(1) अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत तथा पहले उपलब्धि चिन्ह की लागत प्रथम किस्त के रूप में देय होगी परन्तु प्रथम किस्त निम्नलिखित कार्य / शर्ते पूर्ण करने के पश्चात ही जारी की जायेगी :–

(अ) प्रथम पक्ष द्वारा उप–परियोजना का बैंक खाता खोलना।

(ब) प्रथम पक्ष द्वारा नगद अंशदान, उप–परियोजना के बैंक खाते में जमा कराना अथवा सामग्री जमा कराना।

(स) भूमि संबंधी एवं अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करना

(द) प्रथम पक्ष द्वारा लेखा कर्ता को द्वितीय पक्ष से विभागीय प्रशिक्षण दिलवाना।

(य) प्रथम पक्ष ने प्रारम्भिक बचत कार्यों की वित्तीय प्रबंधन क्षमता का सकल प्रदर्शन कर दिया है।

(2) दूसरे उपलब्धि चिन्ह की लागत के रूप में द्वितीय किश्त का भुगतान निम्नलिखित शर्तो / कार्यो को पूर्ण करने के पश्चात किया जायेगा :–

(अ) प्रथम उपलब्धि चिन्ह की पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना

(ब) प्रथम पक्ष द्वारा नियमित रूप से मासिक वित्तीय रिर्पोट भेजा जाना।

3. यदि प्रथम पक्ष (..............समान रूचि समूह).............रूपये अंशदान के लिये रिवाल्विंग फण्ड लेना चाहता है तो उसे द्वितीय पक्ष को रिवाल्विंग फण्ड के लिये परिशिष्ट –4 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. परियोजना की परिसम्पतियो को क्रय करने के लिये रिवाल्विग फण्ड के रूप मे ली गई राशि, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को..................अवधि मे वापस चुकाई जायेगी।

5. यदि समूह का कोई सदस्य अपने हिस्से के रिवाल्विग फण्ड को चुकता नही करता है तो इस राशि को चुकाने का दायित्व समूह का होगा।

6. समूह को परिसम्पति क्रय करने के लिये अंशदान के रिवाल्विग फण्ड की राशि की वसूली करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं इस बारे में वह आवश्यक समस्त रिकार्ड संधारित करेगा।

7. प्रथम पक्ष के दायित्व निम्न प्रकार हैं :–

(i) द्वितीय पक्ष द्वारा परिसम्पत्तियों/सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन की दृष्टि से आयोजित प्रशिक्षण में सक्रिय व्यक्तियों/सदस्यों के प्रशिक्षण की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ii) उप परियोजनाओं को सहभागिता प्रक्रिया से तथा पूर्ण कर्मठता व दक्षता से स्वीकृत समय में व विनिर्देशों के अनुसार पूर्ण करना।

(iii) इस अनुबन्ध के परिशिष्ट –3 के अनुसार संतोषजनक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था करना।

(iv) कार्य के लिए वांछित नकद राशि/सामग्री/मज़दूरी के लाभन्वित हिस्सा राशि अंशदान को सुनिश्चित करना।

(v) उप–परियोजना राशि से पोषित सामग्री अथवा सेवाएं अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण एवं राजस्थान सरकार के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही क्रय/प्राप्त की गई हैं एवं इनका उपयोग अनन्य रुप से इस उप–परियोजना के क्रियान्वयन पर ही किया जावेगा, यह सुनिश्चित करना।

(vi) कार्य का अनुवीक्षण करना एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित समय पर एवं प्रपत्रों में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(vii) स्वैच्छिक अंशदान या लागत वसूली प्रक्रिया से उप–परियोजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का रखरखाव सुनिश्चित करना।

(viii) जहाँ आवश्यक हो, वहाँ सृजित परिसम्पत्तियों का बीमा कराना।

(ix) परिसम्पत्तियों का सभी योग्य लाभान्वितों द्वारा साम्युक्त रुप से उपयोग सुनिश्चित कराना।

(x) किसी भी समय द्वितीय पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि, को उप–परियोजना के लेखे, अभिलेख अथवा कार्य का निरीक्षण कराना एवं उक्त निरीक्षण के फलस्वरुप दिये गये निर्देशों/सिफारिशों की पालना सुनिश्चित करना।

(xi) बैंक के खाते में द्वितीय पक्ष द्वारा उप–परियोजना हेतु उपलब्ध कराई गई राशि एवं प्रथम पक्ष का नकद अंशदान जमा कराना एवं इस जमा राशि का उपयोग केवल उप–परियोजना कार्यों हेतु ही करना ।

(xii) उप–परियोजना कार्यों हेतु भुगतान राशि, यदि रु. 5000 /– से अधिक होगी (समूह/ग्राम पंचायत द्वारा लगाये गये मज़दूरों के भुगतान को छोडकर) तो केवल आदाता के खाते में रेखांकित चैक (account payee cheque) के मार्फत ही दी जायेगी तथा ग्राम पंचायत को यदि कोई भुगतान करना है तो वह चैक के मार्फत ही किया जायेगा, यह सुनिश्चित करना।

8. द्वितीय पक्ष के दायित्व निम्न प्रकार हैं : –

(i) कार्यपूर्णता/उपलब्धिचिन्ह के दस्तावेज प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर किश्त ज़ारी करना ।

(ii) समान रुचि समूह के सदस्यों को परिसम्पत्तियों/सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए वांछित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(iii) उप–परियोजना से संबद्ध अन्य एजेन्सियों का समन्वय सुनिश्चित करना।

(iv) उप–परियोजना से संबंधित परिसम्पत्तियों को क्रय करने के लिये समूह को अंशदान की रिवाल्विग फण्ड एक सप्ताह मे जारी करना।

9. यदि प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध की शर्तों अथवा द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नहीं करता है तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रथम पक्ष के उप–परियोजना बैंक खाते की राशि फ्रीज कर सके अथवा वापिस ले सके।

10. यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा यह स्थापित किया जाता है कि प्रथम पक्ष ने उप–परियोजना कार्यों के लिए दी गई राशि का दुरुपयोग किया है अथवा अन्य अनियमितता की गई हैं या कम राशि व्यय की गई है, तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के सदस्यों से उक्त राशि की वसूली कर सकता है।

11. यदि प्रथम पक्ष द्वारा उप–परियोजना के अन्तर्गत सृजित सामूहिक सम्पत्ति का उपयोग नही किया जाता है अथवा प्रथम पक्ष अस्थित्व में नहीं रहता हैं तो यह सामूहिक सम्पत्ति ग्राम पंचायत अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित ऐजेन्सी को स्थानान्तरित हो जावेगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर लिखी तारीख को दोनो पक्षो ने अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(नाम	(नाम..
अध्यक्ष, समान रूचि समूह,	जिला परियोजना प्रबन्धक, जिला..................,
प्रथम पक्ष की ओर से	राज्यपाल की ओर से

परिशिष्ट–1

इस अनुबंध उप–परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की सूची

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

परिशिष्ट–2

उप–परियोजना से लाभान्वित बस्तियों/ग्रामों एवं परिवारों की सूची

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

परिशिष्ट–3

<u>संतोषजनक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था में निम्न समाविष्ट है</u> :

1. प्रथम पक्ष उप परियोजना निधि हेतु एक पृथक परियोजना बैंक खाता खोलेगा। उप परियोजना गतिविधियों के लिए प्रथम पक्ष का रोकड़ अंशदान तथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्राप्त अंशदानों को इस उप परियोजना बैंक खाते में जमा कर दिया जायेगा। यह उप परियोजना खाता केवल परियोजना से संबंधित प्राप्तियों तथा भुगतान हेतु उपयोग में लाया जावेगा। प्रचालन तथा रख–रखाव अंशदान, बचत अंशदान तथा इनसे संबंधित भुगतान इस उप परियोजना बैंक खाते में से नहीं किए जायेंगे।

2. प्रथम पक्ष इसके लिए एक प्रशिक्षित लेखा संधारक या लेखापाल रख सकता है (जो कि सामाजिक गतिशीलता के दौरान प्रशिक्षित किया गया है)

3. प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा मुहैया कराए गये प्रारुपानुसार निम्न लेखा रजिस्टर/रिकार्ड तैयार करेगा :–

   (i) साधारण रोकड़/बैंक बही जिसमें कि मुख्य शीर्षों के वगीकृत आधार पर प्राप्तियों तथा भुगतानों का विवरण हो।

   (ii) रजिस्टर, जिसमें सदस्यों द्वारा प्राप्त अंशदान–रोकड़, श्रम या सामग्री के रुप में है, का ब्यौरा हो।

   (iii) रजिस्टर , जिसमें परियोजना निधि के उपयोग से खरीदी गई सामग्री तथा उपयोग में ली गई सामग्री का विवरण हो।

4. प्रथम पक्ष विभिन्न प्राप्तियों तथा भुगतानों के लिए वाउचर/बिल/समर्थक दस्तावेज (व्यवस्थित क्रम में) तथा बैंक खाते विवरणों (पास–बुक) की प्रतियाँ रखेगा।

5. प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा मुहैया कराए गये प्रारुपानुसार प्रति माह एक सरल रिपोर्ट तैयार करेगा। यह संक्षिप्त विवरण निम्न तथ्यों को सूचित करेगा :–

   (i) प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के अंशदानों से प्राप्त राशि

(ii) किए गए कार्यों का विवरण (गतिविधि जो पूर्ण की जानी है, लागत, कार्य जो पूर्ण कर दिया गया है तथा कार्य जो कि अगले माह पूर्ण किया जाना है) तथा

(iii) प्रथम पक्ष के अंशदान की राशि जो श्रम अथवा सामग्री के रुप में है लेखा रजिस्टर/रिकार्ड के प्रारुप इस रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया को सरल बना देगें।

6. प्रथम पक्ष इस रिपोर्ट को नियमित रुप से ग्राम सभा तथा इसके सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रथम पक्ष इस रिपोर्ट को ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड या विलेज हॉल पर भी प्रदर्शित करेगा। साथ ही, बही खाते/रजिस्टर, वाउचर तथा बैंक खाते का विवरण प्रथम पक्ष तथा ग्राम सभा की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा यह इसके सदस्यों की संवीक्षा हेतु भी उपलब्ध रहेंगे।

7. प्रथम पक्ष इस रिपोर्ट की प्रति, प्रति माह (माह समाप्ति के सात दिन के भीतर) द्वितीय पक्ष को भी प्रस्तुत करेगा।

8. प्रथम पक्ष, लेखा रजिस्टर/रिकार्डें, समर्थक दस्तावेजों को तथा अन्य सूचनाओं को द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त परियोजना पर्यवेक्षक को देगा तथा उसको सहयोग भी करेगा।

9. प्रथम पक्ष बैंक खाते के प्रचालन तथा रख–रखाव के लिए भी इसी तरह का एक खाता रखेगा तथा इस खाते का एक संक्षिप्त विवरण इसके सदस्यों तथा ग्राम सभा को प्रस्तुत करेगा।